



**SECOND FLOOR PLAN**



**FIRST FLOOR PLAN**



**GROUND FLOOR PLAN**

# कार्यालय जिला पंचायत एटा

पत्रांक- 73

/नि0वि0जि0प0/ 2006-2007

दिनांक - 21-05-2006

सचिव

श्रीमती सूरजमुखी शिक्षा समिति

रेलवे स्टेशन शांति नगर

एटा

आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 12-05-2006 के द्वारा जिला पंचायत एटा के पत्र संख्या पत्रांक-73/नि0वि0जि0प0/2006-07 दिनांक-21-05-2006 के माध्यम से स्वीकृत किया जाता है इस प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न मानचित्र पर सम्यक विचारोपरांत ग्राम हरचंदपुर एटा की भूमि गाटा संख्या 194 व 242 का कुल रखवा 1.545 हेक्टर पर कुल निर्मित क्षेत्रफल 3923 वर्ग मीटर प्रस्तावित कॉलेज सी0 एस0 महाविद्यालय हरचंदपुर खुर्द एटा के मानचित्र की स्वीकृति निम्न प्रतिबंधों के साथ प्रदान की जाती है-

- 1- प्रस्तावित भवन का निर्माण प्रारंभ करते समय तथा निर्माण अधीन अवधि में कोई भी निर्माण सामग्री मार्ग पर एकत्रित न की जाए।
- 2- जल-मल की निकासी मार्ग की ओर की जाए।
- 3- मुख्य मार्ग के मध्य बिंदुओं से निर्माण स्थल की प्रतिबंधित दूरी के संबंध रोड साइड लैंड कंट्रोल रूल्स 1964 के नियम साथ यथावत लागू रहेंगे।
- 4- भवन में आई0एस0आई0 मार्क के फायर एक्सटिंग्विशरों को भवन के अनुरूप लगाया जाए।
- 5- भवन की छत पर 10000 लीटर क्षमता का आर0सी0सी0 टैंक बनाते हुए पास में ही सुलूस वाल्व एवं नॉन रिटर्निंग वाल्व के सहित 900 लीटर प्रति मिनट क्षमता का बूस्टर पंप लगाया जाए तथा प्रत्येक तल पर होजरील की व्यवस्था की जाए।
- 6- परिसर तथा अन्य एक्टिविटी को देखते हुए 20000 लीटर क्षमता का भूमिगत टैंक बनाते हुए पास में ही पंप रूम बनाया जाए जिसमें 1620 लीटर प्रति मिनट क्षमता का जाकी पंप एवं इतनी क्षमता का डीजल पंप तथा प्रेशर बनाए रखने के लिए 180 लीटर प्रति मिनट क्षमता का जाकी पंप का प्रावधान किया जाए तथा रिंगमेन डालकर फायर हाइड्रेंट का प्रावधान करते हुए होज बॉक्स बनाकर 15-15 मीटर में होज पाइप ब्रांच पाइप में नजूल के रखा जाए।

बिना किसी पूर्व सूचना के नक्शे भवन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन परिवर्तन नहीं किया जाएगा यदि किसी भी प्रकार का परिवर्तन भवन मानचित्र में है तो जिला पंचायत एटा से स्वीकार किए बिना परिवर्तन परिवर्तन नहीं किया जाएगा किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में जिला पंचायत एटा उत्तरदाई नहीं होगा।

अनुमोदित मानचित्र किसी भी दशा में स्वामित्व का अभिलेख नहीं माना जाएगा।

अपर मुख्य अधिकारी  
अपर जिला पंचायत एटा  
जिला पंचायत एटा